

जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार के द्वारा मधुबनी, दरभंगा तथा समस्तीपुर जिलों में पश्चिमी कोसी नहर का विस्तारीकरण, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण (ई०आर०एम०) परियोजना का पर्यावरणीय स्वीकृति के उद्देश्य से दिनांक 03.10.2026 को अपर समाहर्ता, समस्तीपुर की अध्यक्षता में आयोजित लोक-सुनवाई की कार्यवाही।

उपस्थिति पंजी- संलग्न।

जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार के द्वारा मधुबनी, दरभंगा तथा समस्तीपुर जिलों में पश्चिमी कोसी नहर का विस्तारीकरण, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण (ई०आर०एम०) परियोजना का प्रस्ताव है। प्रस्तावित परियोजना समस्तीपुर जिला की सीमा के अंतर्गत सिंधिया प्रखंड के तीन पंचायतों के क्षेत्र से गुजरती है। प्रसंगाधीन लोक-सुनवाई की सूचना पर्वद के द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा- "हिन्दुस्तान" के मुजफ्फरपुर तथा "द टाइम्स ऑफ इंडिया" के पटना संस्करण में दिनांक 02.09.2026 को प्रकाशित की गयी है (प्रतिलिपि संलग्न)।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं०- एस०ओ० 1533, दिनांक 14.09.2006, एवं राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार के पत्र संख्या- J-12011/16/2025-IA.1 (R), दिनांक 22.04.2025 के द्वारा निर्गत इस प्रस्ताव का टी०ओ०आर० (पर्यावरण विचारों) के आलोक में लोक-सुनवाई दिनांक 03.10.2026 (शनिवार) को अपराह्न 01:30 बजे प्रखंड सभागार सिंधिया, जिला-समस्तीपुर में निर्धारित किया गया। यह लोक सुनवाई जिला- पदाधिकारी, समस्तीपुर के पत्र पत्रांक 2178/सा०, दिनांक 18.09.2026 के द्वारा नामित अपर समाहर्ता, जिला-समस्तीपुर की अध्यक्षता में आयोजित किया गया।

क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद, बरौनी, बेगूसराय के द्वारा लोक-सुनवाई में उपस्थित जनसमुदाय एवं पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ई०आई०ए०) अधिसूचना, 2006 के तहत प्रस्तावित पश्चिमी कोसी नहर का विस्तारीकरण, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण (ई०आर०एम०) परियोजना का पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक-सुनवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया तथा लोगों से इस योजना से संबंधित पर्यावरणीय विषयों पर सुझाव/आपत्ति दर्ज कराने हेतु अनुरोध किया गया।

प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार के द्वारा प्रस्तावित परियोजना का परिचय, नियंत्रण व्यवस्था, कॉरपोरेट पर्यावरणीय दायित्व तथा योजना का पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ई०आई०ए०) प्रतिवेदन का कार्यकारी सार को विस्तार से प्रस्तुत किया गया, जो निम्नवत् है-

1. पश्चिमी कोसी नहर एक प्रमुख गुरुत्वीय सिंचाई योजना है जो कोसी बराज (हनुमान नगर/भीम नगर) के दाहिने किनारे से निकलती है। यह बिहार के मधुबनी और दरभंगा जिलों में एक विस्तृत नहर प्रणाली में विभाजित हो जाती है। 1970 के दशक में चालू की गई इस प्रणाली से बुनियादी ढांचे के क्रमिक क्षरण तथा गाद के जमा होने लगभग एक-तिहाई होने के कारण इसका विस्तारीकरण, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण अनिवार्य हो गया है।

2. मेसर्स आर०वी० इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स लिमिटेड के द्वारा इस पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के लिए पूर्व-संभाव्यता रिपोर्ट, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और वर्तमान पर्यावरणीय प्रभाव आकलन/पर्यावरण प्रबंधन योजना तैयार किया गया।
3. यह एक सिंचाई प्रणाली का आधुनिकीकरण और विस्तार है, जिसका संवर्तनीय कमांड क्षेत्र EIA सीमा से अधिक है, और परियोजना का एक हिस्सा भारत-नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 10 किलोमीटर के भीतर स्थित है।
4. इस परियोजना में नए बराज, बांध या जलाशय का निर्माण सम्मिलित नहीं है, और इसमें वन भूमि का कोई विचलन सम्मिलित नहीं है। यह परियोजना किसी भी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, बाघ अभ्यारण्य या अधिसूचित पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र (Eco-Sensitive Zone- ESZ) के अंतर्गत नहीं आती है। निकटतम संरक्षित क्षेत्र कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य, जिला-दरभंगा में है। परियोजना का रैखिक प्रभाव क्षेत्र इसकी अधिसूचित ESZ सीमा से लगभग 300 मीटर बाहर स्थित है तथा निकटतम परियोजना घटक अभ्यारण्य की सीमा से लगभग 3-38 किलोमीटर दूर है।
5. यह परियोजना बिहार राज्य के मधुबनी एवं दरभंगा जिलों के साथ समस्तीपुर जिला के कुछ भाग (यथा- सिंधिया प्रखंड के आठ गांव) को आच्छादित करती है।
6. इस परियोजना का कुल लागत ₹8338.89 करोड़ है, जिसमें मौजूदा नहर प्रणाली (₹4,437.14 करोड़, 53%), विस्तारीकरण नहर प्रणाली (₹3,901.74 करोड़, 47%) और पूरे कृषि योग्य कमांड क्षेत्र (Culturable Command Area- CCA) को कवर करने वाले कमांड क्षेत्र विकास (Command Area Development- CAD)/सिंचाई नहर के लिए ₹150.97 करोड़ शामिल है। कुल 2,105 नहर संरचना का निर्माण प्रस्तावित है जिसमें 763 पुनर्वास, 10 पुर्ननिर्माण तथा 61 निर्माणधीन है।
7. निर्माण के लिए मिट्टी, सीमेंट, प्रबलित और संरचनात्मक स्टील, मोटे और बारीक कंकड़, पत्थर बिछाने की सामग्री और भू-संश्लेषित पदार्थ की आवश्यकता होती है, मुख्य रूप से नहर की परत चढ़ाने, हाइड्रोलिक संरचनाओं और आरसीसी कार्यों के लिए, नहर की गाद निकालने और पुनः-सैक्शनिंग से निकाली गई सामग्री का उपयोग, अधिकतम संभव सीमा तक, तटबंध को मजबूत करने और भरने के लिए पुनः किया जाएगा; शेष आवश्यकताओं को अधिकृत आपूर्तिकर्ताओं, लाइसेंस प्राप्त खदानों और सरकार द्वारा अनुमोदित मिट्टी/रेत के स्रोतों से पूरा किया जाएगा।
8. पुनर्स्थापन कार्य पहले से अधिगृहित नहर के रैखिक प्रभाव क्षेत्र तक सीमित हैं। इन घटकों के लिए किसी अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता नहीं है। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में मात्राओं के आकलन के अनुसार, केवल उग्रनाथ, विदेशेश्वरस्थान और काकरघाटी नहर-विस्तार और वितरण प्रणालियों के लिए 5,170.16 एकड़ (2,092.27 हेक्टेयर) अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता होगी।
9. निर्माण के दौरान, लगभग 61,52,575 घन मीटर अतिरिक्त खुदाई से मलबा उत्पन्न होगा, जिसमें से 60,09,200 घन मीटर मौजूदा नहर प्रणाली के पुनर्वास कार्य से और 1,43,375 घन मीटर नहर विस्तार कार्यों से होगा। उपयुक्त सामग्री का उपयोग परियोजना कार्यों में यथासंभव पुनः किया

- जाएगा, और शेष को उपलब्ध नहर मार्ग का अधिकार के भीतर ढलान ड्रेसिंग, कम्पैक्शन और रोपण के साथ अभियंत्रित स्पोइल बैंकों के रूप में स्थिर किया जाएगा।
10. हरित पट्टी (Green Belt) विकसित करने के लिए काट दिये जाने वाले 3,505 वृक्षों के स्थान पर 61,622 वृक्षों का वृक्षारोपण किया जायगा। इसके लिए प्रस्तावक के द्वारा ₹60.0 लाख की राशि निर्धारित किया गया है।
 11. परियोजना को 4 वर्षों में कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है। इसमें नहर-विस्तार प्रणाली के लिए 216 गांवों में फैले 2,092.38 हेक्टेयर (5,170.16 एकड़) का भूमि अधिग्रहण तथा मौजूदा नहर प्रणाली के किनारे 486 संरचनाओं वाले 185 अतिक्रमण मामलों का पुनर्वास और पुनर्स्थापन किया जायगा।
 12. निर्माण-चरण में धूलकण का उत्सर्जन मुख्य रूप से नहर की गाद निकालने/पुनः-सेक्शनिंग, रेत, कंकड़ और सीमेंट ले जाने वाले ट्रकों की आवाजाही, और बैचिंग प्लांट तथा निर्माण मशीनरी के संचालन से उत्पन्न होगी, जो अस्थायी हैं और सक्रिय कार्य क्षेत्रों तक सीमित हैं। संचालन के दौरान, गुरुत्वाधारित नहर प्रणाली अनिवार्य रूप से प्रदूषण रहित होती है। धूलकणों के नियंत्रण हेतु परिवहन मार्गों और सक्रिय निर्माण स्थलों पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायगा। निर्माण सामग्री का आच्छादित परिवहन तथा वहाँ वायु अवरोधकों का उपयोग किया जायगा। निर्माण मशीनरी और वाहनों का नियमित रख-रखाव किया जायगा।
 13. भूमि कार्य, नहर की परत चढ़ाने, हाइड्रोलिक संरचना के पुनर्वास और वाहन/उपकरणों की आवाजाही के दौरान निर्माण के दौरान अस्थायी ध्वनि वृद्धि की संभावना है। ये प्रभाव स्थानीय हैं और निर्माण अवधि तक सीमित हैं। इसके लिए उच्च-ध्वनि वाली गतिविधियों को दिन में ही किया जायगा। के घंटों तक सीमित करें। श्रमिकों को उच्च-ध्वनि क्षेत्रों में पीपीई (ईयरप्लग/ईयरमफ) प्रदान किया जायगा। मशीनरी का नियमित रख-रखाव किया जायगा। नियमित रूप से ध्वनि की निगरानी की जायगी।
 14. निर्माण के दौरान खुदाई, मिट्टी/सामग्री का भंडारण, भारी वाहनों की आवाजाही, और ईंधन/स्नेहक के आकस्मिक रिसाव से मिट्टी की गुणवत्ता अस्थायी रूप से प्रभावित हो सकती है। ये प्रभाव स्थानीय और अल्पकालिक हैं, जो सक्रिय कार्य क्षेत्रों और स्पोइल-बैंक स्थलों तक सीमित हैं। इसके लिए हरित पट्टी विकास और स्थल पुनर्स्थापन में पुनः उपयोग के लिए ऊपरी मिट्टी को अलग से निकालकर संग्रहित किया जायगा। कम्पैक्शन, ढलान, समतलीकरण और बरमूड़ा घास/स्थानीय पौधा रोपण के माध्यम से स्पोइल बैंकों और प्रभावित क्षेत्रों (203 हेक्टेयर) को स्थिर किया जायगा।
 - 15- नहर प्रणाली के पुनर्स्थापन और लाइनिंग से रुपांकण वहन क्षमता बहाल होती है और कोसी नदी से जल निकासी बढ़ाए बिना रिसाव/परिवहन हानि कम होती है। निर्माण-चरण के जोखिम सतही जल निकायों के अपशिष्ट, ईंधन या अपशिष्ट जल से आकस्मिक प्रदूषण से संबंधित है।

संचालन से वर्तमान में अपर्याप्त अंतिम छोर तक समान जल वितरण में सुधार की संभावना है। श्रम शिविरों और कार्य स्थलों पर स्वच्छता और अपशिष्ट जल प्रबंधन सुविधाएं प्रदान किया जायगा। 12 पाइजोमीटरों (6 स्वचालित जल-स्तर लॉगर्स के साथ) के माध्यम से पूरक भूजल निगरानी किया जायगा। नहर के आधुनिकीकरण के तहत उपवितरणी स्तर तक स्काडा आधारित स्वचालित निगरानी एवं गेट संचालन प्रणाली लागू की जायगी। पानी की बेहतर उपलब्धता से मत्स्य पालन, मखाना एवं सिंघाड़ा आधारित आजीविकाओं को लाभ होगा।

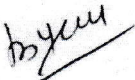
परियोजना प्रस्तुतीकरण के पश्चात् सभा में उपस्थित लोगों के द्वारा सुझाव/मंतव्य दिए गए जो निम्नवत् हैं—

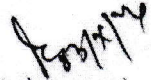
क्र०सं०	प्रतिक्रिया/सुझाव	प्रस्तावक के जवाब
1.	प्रखंड प्रमुख, सिंधिया, समस्तीपुर के द्वारा जानकारी दिया गया कमला नदी, जीवछ नदी में गाद पुर्णतः भर गया है। इसमें जमा पानी का निकासी नहीं होता है। इसके साथ ही गर्मियों में पानी की उपलब्धता नहीं होती है। उनके द्वारा दोनों नदियों का उराही करने का सुझाव दिया गया।	
2.	श्री मुकेश कुमार सिंह, मिलीगंज, हरदिया, समस्तीपुर के द्वारा परियोजना को बस्ती पट्टी से हरदिया गांव में पटेल चक तक जोड़ने का सुझाव दिया गया।	
3.	श्री अनिल कुमार पासवान, वारी, समस्तीपुर के द्वारा परियोजना से चौर बाजी पंचायत को जोड़ने का सुझाव दिया गया। साथ ही यह भी जानकारी दिया गया कि बरसात के बाद पानी पुरा सुख जाता है। इसलिए उराही की व्यवस्था हों।	अपर समाहर्ता-सह-सभाध्यक्ष के द्वारा आश्वस्त किया गया कि यह परियोजना एक नहर परियोजना है। इसमें नदी के मुहाने से जोड़कर पानी की निकासी की अलग व्यवस्था होगी। नहर के द्वारा आस-पास के खेतों में बनने वाले छोटे-छोटे कैनल के माध्यम से पानी पहुंचाया जायगा।
4.	श्री त्रिपित्त नारायण सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता, सिंधिया, समस्तीपुर के द्वारा परियोजना के आरंभ होने की प्रसन्नता व्यक्त किया गया। उनके द्वारा वैसा चौर, चिलवारा क्षेत्र में हजारों एकड़ में योजना का विस्तार करने का सुझाव दिया गया। यह भी आग्रह किया गया कि कटहल, चिलवाड़ा, मानेर, नीबुडीह, लगमा, विष्णुपुर डीह आदि क्षेत्रों में जल की अत्याधिक समस्या है। इन स्थानों पर सिंचाई की व्यवस्था करने का सुझाव दिया गया।	
5.	श्री त्रिपुरारी नाथ झा, कमला, समस्तीपुर के द्वारा कमला नदी तथा जीवछ नदी के बीच बांध का निर्माण तथा नियमित उराही करने का सुझाव दिया गया।	
6.	श्री लक्की कामती, मुखिया, बगरहट्टा, समस्तीपुर के द्वारा प्रखंड में नहर का प्रवेश स्थान की जानकारी मांगा गया। उनके द्वारा	पर्यावरणीय सलाहकार के द्वारा बताया गया कि प्रखंड में नहर का प्रवेश स्थान मौआन गांव है। उनके द्वारा यह बताया गया कि नहर के दोनों ओर 4-5 मीटर की जमीन का अधिग्रहण किया

जमीन के अधिग्रहण के संबंध में मिलने वाले मुआवजे की जानकारी भी मांगी गयी।	जायगा, जिसके लिए जमीन के मालिकों को भारत सरकार के भूमि अधिग्रहण कानून भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्थानीय प्रशासन की देख-रेख में किया जायगा तथा निर्धारित नियम के तहत मुआवाजा का भुगतान किया जायगा।
--	--

लोक-सुनवाई में अपर समाहर्ता-सह-सभा के अध्यक्ष के द्वारा सभी लोगों को संबोधित करते हुए बताया गया कि विस्तारीकरण, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण (ई०आर०एम०) परियोजना के द्वारा स्थानीय एवं राज्य स्तर पर आर्थिक लाभ एवं विकास होता है। पर्यावरण के प्रदूषण को नियंत्रण हेतु वर्णित उपायों के अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही यह भी बताया गया कि किसानों को फसल उपजाने के लिए पानी की आवश्यकता है। साथ ही नदी के पानी के रोकने के लिए बांध की आवश्यकता है। इस परियोजना से किसानों को बोरवेल अदि पर निर्भरता कम होगी। यह परियोजना एक सिंचाई योजना है तथा इसमें किसानों को पुरे वर्ष जल की समस्या से छुटकारा में सहायक होगा। इससे कृषि में लाभ होगा तथा स्थानीय स्तर पर आर्थिक एवं सामाजिक विकास में सहयोग मिलेगा।

लोक-सुनवाई में सर्वसम्मति से प्रस्तावित विस्तारीकरण, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण (ई०आर०एम०) परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने की अनुशंसा प्रदान किया गया। क्षेत्रीय पदाधिकारी, बि०रा०प्र०नि० पर्षद, बेगूसराय के द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ लोक-सुनवाई की कार्यवाई को समापन किया गया।


(एस.पी.राय)
क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि०रा०प्र०नि० पर्षद,
जिला-बेगूसराय।

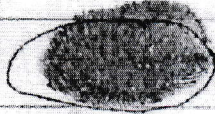

(ब्रजेश कुमार)
अपर समाहर्ता
जिला-समस्तीपुर।

उपस्थिति-सूची

जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार के द्वारा मधुबनी, दरभंगा तथा समस्तीपुर जिलों में पश्चिमी कोसी नहर का विस्तारीकरण, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण (ई०आर०एम०) परियोजना का पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व प्रखंड सभागार सिंधिया, जिला-समस्तीपुर में दिनांक 03/10/2026 (शनिवार) को अपराह्न 01:30 बजे आयोजित लोक-सुनवाई में स्थानीय लोगों एवं पदाधिकारीगण की स्व:हस्ताक्षरित उपस्थिति-

क्र०सं०	नाम/पदनाम	पता	हस्ताक्षर
1	श्रीमंत कुमार, जल संसाधन विभाग		
2	विवेक कुमार BDO, सिंधिया		
3	Pinku Kumar Singh	UP-PRMU Kh - Singh	Pinku Kumar Singh
4	S. P. Roy	Regional officer BSPCB	03-10-2026
5	Shree Baahar Kumar	Executive Engineer, MPE&P DIV-2, Patna MRO	Shree 03/10/2026
6	VIJAY KUMAR	Executive Engineer WKCD Darbhanga	03/10/26
7	K. KARIMULLA BASHA	AVP, (Env), AECL, Hyderabad	A. Karim Basha
8	श्रीमंत कुमार	सिंधिया	श्रीमंत कुमार
9	श्रीमंत कुमार	सिंधिया	श्रीमंत कुमार
10	श्रीमंत कुमार	सिंधिया	श्रीमंत कुमार
11	श्रीमंत कुमार	सिंधिया	श्रीमंत कुमार
12	श्रीमंत कुमार	सिंधिया	श्रीमंत कुमार
13	श्रीमंत कुमार	सिंधिया	श्रीमंत कुमार

14	वपीता कुमारी	का	वपीता कुमारी
15	बुगल डेवी	सिद्धिमा	
16	विजा डेवी	सिद्धिमा, पनसाला	
17	नितु कुमाल		
18	अनवला डेवी	सिद्धिमा	
19	सुनिता कुमारी	सिद्धिमा	सुनिता कुमारी
20	विनीत सहाय	सिद्धिमा	
21	वटीही सहाय	सिद्धिमा	
22	रामचन्द्र राम	सिद्धिमा	
23	पितराम पंडे	सिद्धिमा	पितराम पंडे
24	शुक्ला शंकर	सिद्धिमा	शुक्ला शंकर
25	रामचन्द्र पासवान		RAM
26	NIRKOSH	सिद्धिमा - श्रीपुर मौआल	NIRKOSH
27	मिन्तु कुं सिंह	श्रीपुर मौआल	MINTU
28	रामबिलास क	सिद्धिमा (पनसाला)	
29	हनुमान् पुरिया	सिद्धिमा, बारा	
30	MD. Mujib		MD. Mujib
31	अ. कुमारी	सिद्धिमा	अ. कुमारी

	नाम	ग्राम	हस्ताक्षर
32	मीन उसमान	रही बेल। 2	
33	मुकेश	कुमर सोनियार	मुकेश
34	कमलेश कपली	सिधिया (सालेपुर)	
35	Ami X	Kumar	Kumar
36	गुणवत्	सिधिया (सालेपुर)	महु कपूर
37	गुणवत् कपली	सिधिया (सालेपुर)	रुजफर मरी
38	नंदा कुमारी	सिधिया (कनौज)	नंदा कुमारी
39	सामादेवा	सिधिया (कनौज)	सामादेवा
40	बन्धु देवी		बन्धु देवी
41	लक्ष्मी वरपुत्र	सिधिया (कनौज)	मन्मथ आहुत
42	सदमान रणत	सिधिया (कनौज)	
43	(अनिल कुमार चौधरी)	सिधिया (कनौज)	
44	अलख	सिधिया (कनौज)	
45	सुमन कुमार सुकन	सुमन कुमार सुकन	सुमन कुमार सुकन
46	सामानाजल पादक		रम राम मरु
47	शुशानाराज शर्मा	माइरसा	M. N. Sharma
48	Shahmar	सिधिया (कनौज)	
49	सुमन	मध्य	सुमन

S0	अमर कुमार सिंह	विद्युत्तु 6161	Amr
S1	(1/1/11)	1/1/11	1/1/11
S2	राम. राम	राम	राम
S3	Rajeev Ranjan	Singh	य
S4	अमल कुमार पाठ	पाठ	अमल कुमार पाठ
S5	अमर कुमार पाठ	विद्युत्तु 6161	Jayprakash